नगर पंचायत दौलतपुर चौक, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के लेखों का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1-04-2021 से 31-03-2023

भाग-एक

1 (क) प्रारम्भिक:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1-376/81-फिन(एलoएo)-खण्ड–iv, दिनांक 16.10.2008 द्वारा शहरी स्थानीय निकाय के लेखों के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक , हि. प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत दौलतपुर के लेखों का अंकेक्षण निष्पादित किया गया ।

(ख) अंकेक्षण अवधि 1-04-2021 से 31-03-2023 तक नगर पंचायत दौलतपुर में निम्नलिखित बतौर अध्यक्ष एव सचिव के पद पर कार्यरत रहें :-

(i) अध्यक्ष :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री धर्मजीत सिंह	01.04.2021 से लगातार

(ii) सचिव एवं आहरण व वितरण अधिकारी:-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमती आशा राणा	01-04-2021 से 03-07-2021
2	श्री कैलाश चन्द ठाकुर	15-07-2021 से 14-07-2021
3	श्री रोहित कंवर	23-08-2021 से14-10-2022
4	श्री रमेश कुमार	14-10-2022 से 31-03-2023

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

नगर पंचायत दौलतपुर चौक के अवधि 04/21 से 03 /23 के लेखों के अंकेक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	पैरा सं.	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	राशि (₹ लाखों में)
1	5.3	विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत शेष बची राशि को नगर पंचायत द्वारा स्वयं स्त्रोत लेखे में अनियमित हस्तांतरण करना	1.19
2	6 (ख)	अनुदानों केउपयोग हेतु शेष बची राशि	31.68
3	10.1, 10.4, 10.10 व10.11	गृहकर, दुकान किराये, मोबाइल टावर स्थापना / नवीनीकरण शुल्क, चूल्हा कर व तहबजारी की बकाया वसूली हेतु शेष राशि की वसूली न करना	45.98
4	10.2	गृहकर की बकाया राशि पर सरचार्ज न लगाने के कारण वित्तीय हानि	3.26
5	10.6	दुकानों को किराये पर आबंटित न करने व खाली रखने के कारण नगर पंचायत को वित्तीय हानि	0.74
6	10.9	दुकानों के किराये पर जी.एस.टी. की वसूली न करने बारे	6.44
7	10.14	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करने बारे	0.17
8	10.15	घर-घर कूड़ा संग्रहण के रूप में कम वसूली करना	13.00
9	10.17	वर्ष 2021-22 की बस अड्डा फीस की नीलामी हेतु प्राप्त आय पर जी.एस.टीकीवसूली न करना	0.96
10	10.18	तहबजारी के रूप में वसूली हेतु शेष	3.23
11	11.1	श्री रमेश कुमार सचिव के अनियमित वेतन निर्धारण के कारण अधिक भुगतान करना	0.75
12	13.1	कार्य स्थल पर लाये गये एवं उपयोग किये गये निर्माण सामग्री की प्रमात्रा पर नियमानुसार बनती	1.92

		रॉयल्टी को जमा न करना	
13	13.2	निर्माण कार्य बिल में संविदाकार को अधिक भुगतान करना	0.04

(घ)गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

संस्था द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरांत पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के (**परिशिष्ट-क)** पर दिया गया है | प्रायः देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है जोकि अत्यंत चिंताजनक है | अत: नगर पंचायत इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान / कार्यवाही सुनिश्चित करें तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से यथा समय अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए, ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण संभव हो सके |

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

नगर पंचायत दौलतपुर चौक के लेखों अवधि 01-04-2021 से 31-03-20 23 तक का वर्तमान अंकेक्षण श्री संजीव कुमार , सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) द्वारा दिनांक 05 -06-2023 से 09-08-2023 तक नगर पंचायत दौलतपुर चौंक के कार्यालय में निष्पादित किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में समाविष्ट हैं । विस्तृत अंकेक्षण हेतु आय के लिए माह 03/2022 व 03/2023 तथा व्यय के लिए माह 04/2021 व 04/2022 का चयन किया गया ।

***Disclaimer*:-** यहाँ यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण सचिव, नगर पंचायत दौलतपुर चौंक द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । हि. प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत / अधूरी सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई के कारण अंकेक्षण प्रतिवेदन पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा अंकेक्षण की जिम्मेवारी केवल चयनित माह तक ही सीमित है |

3 अंकेक्षण शुल्क :-

नगर पंचायत के लेखों अवधि 1-04-2021 से 31-03-2023 तक के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹38000/- आँका गया। अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक , हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग , शिमला-9 को भेजने हेतु, सहायक नियन्त्रक की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 135/23 दिनांक 09.08.2023 द्वारा वर्तमान सचिव नगर पंचायत से अनुरोध किया गया व उनके द्वारा तुरंत कार्यवाही करते हुए उक्त राशि बैंक ड्राफ्ट संख्या 447571 दिनांक 17.08.2023 द्वारा जो कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित बैंक की शाखा शिमला में देय थी, निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 को प्रेषित कर दी गई |

4 वित्तीय विवरणियां :-

नगर परिषद / नगर पंचायत अधिनियम , -1994 के अंतर्गत तथा नगर परिषद / नगर पंचायत के Accounts Manual के पैरा 27.4 के अनुसार नगर परिषद / नगर पंचायत द्वारा निम्नलिखित वित्तीय विवरणियां तैयार की जानी आवश्यक हैं । अंकेक्षण के दौरान निम्न वर्णित **वित्तीय विवरणियां** आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 75/2023 दिनांक 06.06.2023 द्वारा अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में सचिव नगर पंचायत ने अपने पत्र संख्या न.प/द.-1272 दिनांक 27.07.2023 द्वारा अवगत करवाया गया कि अवधि 01.04.21 से 31.03.23 हेतु निम्नलिखित वित्तीय विवरणियों को तैयार नहीं किया गया| अतः नगर परिषद / नगर पंचायत अधिनियम , -1994 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए | अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए|

(i) Balance sheet

(ii) Income & expenditure statement

(iii) Statement of cash flow

(iv) Reciept & payment account

(iv) Notes to accounts

(v) Financial performance Indicator

5 वित्तीय स्थिति :-

(क) नगर पंचायत द्वारा यथा (**परिशिष्ट –ख)** पर प्रस्तुत सूचना अनुसार नगर पंचायत की विभिन्न निधियों की लेखा अवधि 1-04-2021 से 31-03-2023 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

वित्तीय वर्ष 2021-22

	आरम्भिक शेष	**आय**	**ब्याज**	**कुल योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
स्वंय स्त्रोत	8083780	4063039	180712	12327531	3941693	8385838
अनुदान	20578782	23224249	784493	44587524	17990381	26597143
योग	**28662562**	**27287288**	**965205**	**56915055**	**21932074**	**34982981**

वर्ष 2022-23

	आरम्भिक शेष	**आय**	**ब्याज**	**कुल योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
स्वंय स्त्रोत	8385838	4705632	226648	13318118	4270275	9047843
अनुदान	26597143	26572178	843668	54012989	22335770	31677219
योग	**34982981**	**31277810**	**1070316**	**67331107**	**26606045**	**40725062**

ख) Reconciliation of bank balances and cash book balancesas on 31.03.2023

	Balance as per cash book				**40725062.00**
Add	1) Cheque issued but not presented for payment till 31.03.2023				
	Sr. No	**Cheque No**	**Date**	**Amount**	
	1	PFMS	07-07-2022	19731	

	2	789287	17-03-2023	1130	150909.00
	3	12431	24-03-2023	4754	
	4	12432	24-03-2023	8000	
	5	12434	24-03-2023	7244	
	6	12435	24-03-2023	58632	
	7	12436	24-03-2023	18639	
	8	12440	31-03-2023	3257	
	9	12442	31-03-2023	1200	
	10	12443	31-03-2023	5755	
	11	12444	31-03-2023	2889	
	12	12446	31-03-2023	2980	
	13	12447	31-03-2023	3272	
	14	12448	31-03-2023	5782	
	15	12449	31-03-2023	1168	
	16	12450	31-03-2023	6476	
				Total	**40875971.00**
Less	Cheque sent to bank but not credited by bank till 31.03.23				
	Sr. No	**Cheque No**	**Date**	**Amount**	
	1	108848	29.03.2023	34000.00	
	2	274286	29.03.2023	34000.00	103976.00
	3	548646	29.03.2023	29880.00	
	4	411563	29.03.2023	6096.00	
	Less deposited of income into bank which entered in cash book on dated 31.03.2023				84.00
	Balance as per Pass Book / Bank				**40771911.00**

ग) दिनांक 31.03.2023 को अंतिम शेष का विवरण :-

क्रम. स.	बैंक का नाम	खाता संख्या	दिनांक 31-03-23 को शेष राशि
1	एच. डी. एफ. गग्रेट	501000214003845	322532.00
2	के. सी. सी. बी. दौलतपुर चौक	20132005307	5153566.00
3	के. सी. सी. बी. दौलतपुर चौक	20132005410	97689.00
4	के. सी. सी. बी. दौलतपुर चौक	20132005329	111814.00
5	के. सी. सी. बी. दौलतपुर चौक	20132005341	218179.00
6	के. सी. सी. बी. दौलतपुर चौक	20014101119	33436.00
7	पी. एन. बी. दौलतपुर चौक	3957000100130904	20217390.40
8	पी. एन. बी. दौलतपुर चौक	3957000100007350	856821.98
9	पी. एन. बी. दौलतपुर चौक	3957000100001222	1006365.00
10	एस. बी. आई. दौलतपुर चौक	39450623795	10292.00
11	एस. बी. आई. दौलतपुर चौक	39450660828	9614907.00
12	केनरा बैंक दौलतपुर चौक	5136101000105	3111001.00
13	पी. एन. बी. दौलतपुर चौक	3957000100135866	17918.00
14	केनरा बैंक दौलतपुर चौक	5136101002339	0.00
15	पी. एन. बी. दौलतपुर चौक	3957000100129786	0.00
		योग	**40771911.38**
		Say off	**40771911.00**

5.1 पेंशन एवं उपदान की निधि की वित्तीय स्थिति :-

नगर पंचायत द्वारा (**परिशिष्ट– ग)** पर अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार पेंशन एवं उपदान की निधि की वित्तीय स्थितिका विवरण निम्न प्रकार से था |

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021-22	7589191	2140360	9729551	1145284	8584267
2022-23	8584267	993153	9577420	1054848	8522572

दिनांक 31.03.2023 को बैंक वचत खाते में जमा शेष राशि का विवरण :-

क्रम. स.	बैंक का नाम	खाता संख्या	दिनांक 31-03-2023 को शेष राशि
1	पंजाब नेशनल बैंक दौलतपुर चौक	3957000100023657	8522572.30
		Say off	**8522572.00**

5.2 दोहरी लेखा पद्धति(Double Entry System on Accural Basis) को लागू न करना :-

निदेशक, शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या UD-H(C)-15-49/2003-III- 3332-3379 Dt.25.03.2009, UD-H(C)-15-49/2003-III- 9337-9385 Dt. 07.09.2009 तथा पत्र संख्या UD-H(C)-15-49/2003-IV-5215-63 Dt.19.07.2010 द्वारा सभी नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों को निर्देश दिये गए थे कि लेखा खातों को दिनांक 01.04.2009 से दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System on Accural Basis) से रख-रखाव किया जाए, किन्तु वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के लेखा खातों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत दौलतपुर चौक द्वारा इन निर्देशों की अवहेलना करके अपने लेखा खातों को एकल पद्धति के आधार पर बनाया गया था जोकि गम्भीर अनियमितता है | अत: निदेशक, शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश के निर्देशों की अवहेलना करके लेखों को दोहरी लेखा पद्धति के स्थान पर एकल लेखा पद्धति के आधार पर बनाए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं सरकार के निर्देशानुसार लेखों को दोहरी पद्धति के आधार पर बनाया जाना तुरंत सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को भी अवगत करवाया जाए|

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 99/2023 दिनाकं 14.07.2023 के प्रत्युत्तर में सचिव नगर पंचायत द्वारा अपने पत्र संख्या न.प/द.-1 322 दिनांक 05.08.23 द्वारा सूचित किया गया कि नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु दोहरी लेखा पद्धति में रोकड़ बही का रख-रखाव शुरू कर दिया जाएगा | अतः कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए |

5.3 विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत शेष बची राशि ₹ 1.19 लाख को नगर पंचायत द्वारा स्वयं स्त्रोत लेखे में अनियमित हस्तांतरण करना :-

नगर पंचायत दौलतपुर चौक के अंकेक्षण अ वधि 01.04.2021 से 31.03.2023 दौरान अंकेक्षण में पाया गया कि **निम्न वर्णित** राशि को भारत सरकार के निर्देशानुसार निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी किए गए पत्र संख्या UD-H(C)(5)-1/2018-I-25541 -25603 दिनांक 27/09/2021, UD-H(C)(5)- 1/2018-I-25773-25835 दिनांक 28/09/2021 तथा UD-H(C)(5)-1/2018-I-25604-25668 दिनांक 29/09/2021 अनुसार विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित योजनायों में पड़ी शेष राशि ₹**118914/-**को एकल नोडल खाते (Single Nodal Accounts) में हस्तांतरणन करके नगर पंचायत के स्वयं स्त्रोत खाते में हस्तांतरित कर दिया गया, जो कि भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों " It has been decided to deposit all balance funds available with Implementing Agencies(IA) (i.e.Urban Local Bodies) in to the Single Nodal Account (SNA) and for future the IAs/ULBs will be issued authority against Single Nodal Account (SNA)to draw the funds." अनुसार एक अनियमितता है | निम्न विवरणानुसार विभिन्न योजनाओं में दिनांक 27.09.2021 को शेष पड़ी राशि,जो एकल नोडल खाते (Single Nodal Accounts) में हस्तांतरण होनी थी, को हस्तांतरण न करके नगर पंचायत के स्व: स्त्रोत लेखे में जमा करवाया गया | उक्त वर्णित अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 74/2023 दिनांक 06.06.23 के अंतर्गत सचिव नगर पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या न.प./ द. प.10 46 दिनांक 27.06.23 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गयाकि हस्तांतरित की गई उक्त राशि सरकार से प्राप्त अनुदान राशि नहीं थी बल्कि प्राप्त अनुदान पर ब्याज की राशि थी | उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया क्योंकि उपरोक्त वर्णित पत्रों के दिशा – निर्देशों अनुसार समस्त राशि एकल नोडल खाते (Single

Nodal Accounts) में हस्तांतरण होनी थी, जिसका औचित्य उपरोक्त वर्णित पत्रोंनुसार स्पष्ट किया जाए अन्यथा राशि को एकल नोडल खाते (Single Nodal Accounts) के हस्तान्तरण किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	**योजना का नाम**	**खाता संख्या (एकल नोडल खाता)**	**बैंक का नाम**	**आई.एफ.एस.सी. कोड**	**निदेशक शहरी विकास की पत्र संख्या**	**हस्तांतरण हेतु राशि (₹)**
1	स्वच्छ भारत मिशन	50100435875151	HDFC	HDFC0002447	UD-H(C)(5)-1/2018-1-25604-25668 दिनांक 27.09.2021	66242
2	प्रधानमंत्री आवास योजना	12550110034941	UCO	UCBA0001255	UD-H(C)(5)-1/2018-1-25604-25668 दिनांक 27.09.2021	51426
3	दीन दयाल उपाध्याय अन्तोद्दय योजना	50100421262380	HDFC	HDFC0002447	UD-H(C)(5)-1/2018-1-25541-25603 दिनांक 27.09.2021	1246
					योग	**118914/-**

6 अनुदान:-

(क) वित्तीय स्थिति

नगर पंचायत दौलतपुर चौंक की अंकेक्षणाधीन अवधि 0 1-04-2021 से 31-03-2023 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तारपूर्वक विवरण **(परिशिष्ट – घ**) में भी दिया गया है :-

वित्तीय वर्ष	**आरम्भिक शेष**	**वर्ष के दौरान प्राप्त राशि**	**ब्याज**	**कुलयोग**	**वर्ष के दौरान व्यय राशि**	**अन्तिम शेष**
2021-22	20578782	23224249	784493	44587524	17990381	26597143
2022-23	26597143	26572178	843668	54012989	22335770	31677219

(ख) अनुदानों की ₹31.68 लाख उपयोग हेतु शेष :-

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को यथा **परिशिष्ट – (ख) (1) व (घ)** पर प्रस्तुत विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत प्राप्त अनुदान की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त अनुदानों में से दिनांक 31-03-20 23 को ₹31677219/- उपयोग हेतु शेष थी, जबकि अनुदानों से सम्बन्धित स्वीकृत पत्रों के अनुसार यह राशियाँ आमतौर पर एक या दो वर्षों के भीतर उपयोग की जानी अपेक्षित होती हैं | अत: अनुपयोग अनुदान राशियों को निश्चित अवधि में उपयोग न किये जाने बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए इन्हें सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत प्राप्त निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित विभाग को करके अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

ग) अनुदान रजिस्टर तैयार न करना :-

नगर पंचायत में वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान विभिन्न विभागों / संस्थाओं से प्राप्त अनुदानों व प्राप्त अनुदानों से किए गए व्यय से सम्बन्धित अभिलेख अनुदान रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था। अतः वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 का अनुदान रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख तैयार करने उपरान्त सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

घ) ₹397.74 लाख के अनुदानों के व्यय सम्बन्धी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

नगर पंचायतद्वारा अंकेक्षण को यथा (**परिशिष्ट – ख)** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अनुदानों में से वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 को क्रमश: **₹**17990381 व **₹**22335770 कुल ₹40326151/-का व्यय किया गया दर्शाया गया जिसमें से क्रमशः वर्ष 2021-22 व 2022-23 में ₹108000/- व ₹443536/- कुल ₹551536/- के उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग को प्रस्तुत किए गए थे जबकि शेष व्यय राशि ₹ 39774615/- के उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग को प्रस्तुत नहीं किए गए थे | लेकिन अनुदान राशियों

को जिन-जिन उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नगर पंचायत द्वारा व्यय किया गया, की सत्यापना वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सम्भव न हो सकी, क्योंकि नगर पंचायत द्वारा अनुदान रजिस्टर को तैयार नहीं किया गया व न ही अनुदानों के शेष व्यय राशि ₹ 39774615/- से सम्बन्धित व्यय की गई राशि के उपयोगिता प्रमाण -पत्र सबन्धित विभागों को प्रस्तुत नहीं किए गए थे | अत: अंकेक्षण अवधि के दौरान प्रत्येक अनुदान राशि के व्यय से सम्बन्धित सम्पूर्ण ब्यौरा जैसे कि माह / दिनांक, बिल / वाउचर संख्या इत्यादि से सम्बन्धित विवरण अनुदान रजिस्टर में दर्ज किया जाना व सम्पूर्ण अभिलेख सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि व्यय की सत्यता की पुष्टि की जा सके |

<u>निवेश</u>

7 कुशल वित्तीय प्रबन्धन के अभाव में अतिरिक्त निधि को सावधि जमा में निवेश करने की अपेक्षा बचत खातों में जमा रखने के कारण प्राप्त हो सकने वाले अतिरिक्त ब्याज आय की हानि :-

नगर पंचायत की दिनांक 31.03.2023 की प्रस्तुत बैंक समाधान विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि ₹40771911/-की एक बड़ी राशि बचत खातों में ही जमा रखी गई थी, जिस में से यदि सामयिक आवश्यकता की राशि के अतिरिक्त उपलब्ध राशि को एक माह से एक वर्ष तक की अल्पावधि बैंक सावधि जमा योजनाओं में निवेश किया जाता तो इस राशि पर निश्चित रूप से नगर पंचायत की दिन - प्रतिदिन की विकास गतिविधियों को प्रभावित किए बिना अधिक ब्याज अर्जित किया जा सकता था,परन्तु पंचायत द्वारा बढ़ी रकम केवल बैंक बचत खातों में रखने के परिणामस्वरूप ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय से वंचित होना पडा है जोकि समुचित कुशल वित्तीय प्रबन्धन के अभाव को परिलक्षित करता है | इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 98/2023 दिनाकं 14.07.2023 के प्रत्युत्तर में सचिव नगर पंचायत द्वारा अपने पत्र संख्या न.प/द.- 1306 दिनांक 05.08.2023 द्वारा सूचित किया गया कि नगर पंचायत द्वारा अल्पावधिके लिए सावधि जमा योजनाओं में निवेश कर दिया जाएगा | अत: प्राथमिकता के आधार पर भविष्य में सामयिक आवश्यकताओं हेतु समुचित राशि को वचत खाते में छोड़कर उपलब्ध शेष निधि को अधिक ब्याज प्राप्त करने के उद्देश्य से कुशल वित्तीय प्रबन्धन करते हुए बैंक सावधि जमा योजनाओं में निवेशित करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8 बजट :-

नगर पंचायत के अंकेक्षण अवधि 01.04.21 से 31.03.23 दौरान का स्वीकृत बजट एवं इसके विरुद्ध व्यय की गई राशि का विवरण **निम्नानुसार है :-**

वर्ष	**स्वीकृत बजट**	**वास्तविक व्यय**	**अंतर**
2021-22	28644000	21907972	6736028
2022-23	30747000	26606045	4140955

उपरोक्त विवरणी से स्वत: स्पष्ट है कि नगर पंचायत द्वारा दोनों वित्तीय वर्षों में स्वीकृत बजट से अधिक व्यय न करते हुए व्यय सीमा के अंतर्गत ही व्यय किया गया था |

9 नगर पंचायत के गत तीन वर्षो की आय व व्यय का विवरण:-

नगर पंचायत दौलतपुर चौंक के गत तीन वर्षो के कुल आय व व्यय का विवरण निम्न प्रकार से था:-

वित्तीय वर्ष	**आय (स्व स्त्रोत + अनुदान +व्याज) (₹)**	**व्यय (₹)**
2020-21	30504882	21874159
2021-22	28252493	21932074
2022-23	32348126	26606045

10 आय :-

नगर पंचायत दौलतपुर चौंक की विभिन्न प्राप्त आय के सबंध में निम्न अनियमितताएं पाई गई हैं :-

10.1 गृहकर की बकाया राशि ₹32.62 लाख वसूली हेतु शेष :-

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को यथा (**परिशिष्ट-ङ)** उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.23 तक गृहकर के रूप में **₹**3261485/- की वसूली शेष थी | हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट 1994 की धारा 258 के अनुसार यदि कोई राशि / टैक्स म्युनिसिपल शुल्क इत्यादि के रूप में देय हो व देय तिथि के 15 दिन बाद भी यह आय अदत रहती है, तो सम्बन्धित नगर पंचायत सचिव लिखित रूप से सम्बन्धित फर्म संस्था अथवा व्यक्ति को विहित प्रपत्र पर नोटिस जारी करेगा | नियम 258 के उप नियम (2) व (3) के अनुसार यदि सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति को नोटिस जारी होने के 15 दिनों के भीतर भी नगर पंचायत को भुगतान नहीं करता है, तो सम्बन्धित सचिव देय कर राशि खर्चों व लागत सहित वसूलने हेतु निर्धारित एवं विहित प्रपत्र पर सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति को वारंट जारी करेगा तथा वारंट जारी करने के बा वजूद भी भुगतान न करने की स्थिति में सम्पूर्ण प्रकरण जिला समाहर्ता को वसूली हेतु प्रेषित करना अपेक्षित है परन्तु नगर पंचायत द्वारा इस संदर्भ में आज तक कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई | उपरोक्त वर्णित अनियमितता अंकेक्षण अधियाचना संख्या 107/23 दिनांक 27.07.2023 के अंतर्गत सचिव के ध्यानार्थ लाई गई जिसके प्रत्युत्तर मेंसचिव नगर पंचायत ने अपने पत्र संख्यान.प/द.- 1311 दिनांक 05.08.2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि गृहकर की वसूली हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे हैं | अत: इस सन्दर्भ में परामर्श दिया जाता है कि गृह कर की वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही करनी सुनिश्चित की जाये व कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

वर्ष	**प्रारम्भिक शेष**	**मांग**	**कुल योग**	**प्राप्ति**	**छूट**	**अंत शेष**
2021-22	2903802	748633	3652435	470915	29318	3152202
2022-23	3152202	687561	3839763	543117	35161	3261485

10.2 गृहकर की बकाया राशि पर सरचार्ज न लगाने के कारण ₹3.26 लाख की वित्तीय हानि:-

निदेशक शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या UD-H(B)(15)-4-99 दिनांक 20-06-03 के अनुसार चालू वर्ष का गृहकर का बिल जारी होने के उपरांत 10 दिनों के भीतर कर जमा करवाने पर कर की राशि पर 20% की छूट दी जानी अपेक्षित थी, परन्तु निर्धारित समय अवधि पर कर की राशि जमा न करवाने पर बकाया राशि पर 10% की दर से सरचार्ज लगाया जाना अपेक्षित था, जिसके कारण नगर पंचायत को दिनाकं 31.03.23 को गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि ₹3261485 पर 10% सरचार्ज के रूप में ₹326149 (3261485×10) की वित्तीय हानि उठानी पड़ी, जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है | उक्त वर्णित अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 108/23 दिनांक 27.07.2023के अंतगर्त सचिव नगर पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव नगर पंचायत ने अपने पत्र संख्या न.प/द.- 1312 दिनांक 05.08.2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि गृहकर की बकाया राशि पर सरचार्ज लगाकर आगामी वर्ष में उपभोक्ताओं को बिल भेजे जाएंगे | अत: समय पर गृहकर न चुकाने वाले गृह करदाताओं की बकाया राशि पर नियमानुसार सरचार्ज निर्धारित करके वसूला जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

10.3 गृहकर के रूप में वसूली गई राशि ₹0.19 लाख का गृहकर मांग एवं संग्रह रजिस्टर में लेखांकन न करना :-

नगर पंचायत के अंकेक्षण अवधि 01.04.21 से 31.03.23 के चयनित मासों में गृहकर से प्राप्त आय का अवलोकन करने पर पाया गया कि **निम्न विवरणानुसार₹18590/-** गृह कर दाताओं से गृह कर की वसूली तो कर ली गई थी, परन्तु प्राप्त गृहकर को उनके खातों में जमा / क्रेडिट न करते हुए वकाया गृहकर के रूप में दर्शाया गया जोकि एक गम्भीर अनियमितता है जिसके परिणाम स्वरूप गृह कर दाताओं की मांग एवं प्राप्ति की सही स्थिति प्रदर्शित न होने के साथ - साथ गृहकर दाताओं का बकाया गृह कर गलत दर्शाया जा रहा है | उक्त वर्णित अनियमितता अंकेक्षण अधियाचना संख्या109/2023 दिनांक 27.072023 के अंतर्गत सचिव के ध्यानार्थ लाई गई जिसके प्रत्युत्तर सचिव नगर पंचायत द्वारा अपने पत्र संख्या न.प/द.- 1313 दिनांक 05.08.2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि प्राप्त गृहकर को सम्बन्धित गृहकर दाताओं के खातों में लेखांकित कर दिया जाएगा तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवा दिया

जाएगा | अनुपालना हेतु परामर्श दिया जाता है कि जब भी गृह कर की वसूली की जाती है तो उसे तदानुसार समय-समय पर गृह कर दाताओं के खातों में इन्द्राज करना सुनिश्चित किया जाए जिससे की गृह कर दाताओं के खातों की वास्तविक स्थिति प्रदर्शित हो सके तथा की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	**रसीद संख्या व दिनांक**	**गृहकर दाता का नाम**	**खाता संख्या**	**प्राप्त राशि जो गृहकर दाता के खाते में शामिल नहीं की गई (₹)**	**टिप्पणी**
1.	23/330 21.03.23	श्रीमती तृप्ता देवी	15/35	1580	
2.	18/332 21.03.23	श्री यशपाल सिंह	65/4	730	उक्त कर दाता से वर्ष 2022-23 के गृहकर हेतु दोहरी वसूली की गई जो प्रथम बार रसीद संख्या 34/330 दिनांक 23.03.23 द्वारा **₹730/-** की गई थी जिसका इन्द्राज गृह कर दाता के खाते में किया गया था।
3.	21/330 21.03.23	श्री कुलदीप कुमार	16/90	1531	
			17/99	675	
4.	19/332 21.03.23	श्रीमती सुरक्षा देवी	67/21	3000	
5.	43/328 21.03.23	श्री जीत सिंह	15/41	4320	
6.	46/328	श्री नरेश	89/235	2500	

	21.03.23	कुमारी			
7.	36/329 21.03.23	श्रीमती मुकेश लता	16/17	1453	
8.	40/329 21.03.23	श्री जगदीश राम	73/85	486	
9.	41/329 21.03.23	श्री सतपाल सिंह	23/108	146	
10.	44/329 20.03.23	श्रीमती नीरजा शर्मा	16/37	1907	
11.	329/13 18.03.23	श्री देस राज	68/32	262	
			योग	**18590/-**	

10.4 दुकानों के किराये की बकाया राशि ₹6.87 लाख वसूली हेतु शेष :-

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को यथा (**परिशिष्ट च)** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.23 तक दुकानों के किराये के रूप में ₹687680/- की वसूली शेष थी | हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट 1994 की धारा 258 के अनुसार यदि कोई राशि / टैक्स म्युनिसिपल शुल्क इत्यादि के रूप में देय हो व देय तिथि के 15 दिन बाद भी यह आय अदत रहती है, तो सम्बन्धित नगर पंचायत सचिव लिखित रूप से सम्बन्धित फर्म संस्था अथवा व्यक्ति को विहित प्रपत्र पर नोटिस जारी करेगा | नियम 258 के उपनियम (2) व (3) के अनुसार यदि सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति नोटिस जारी होने के 15 दिनों के भीतर भी नगर पंचायत को भुगतान नहीं करता है, तो सम्बन्धित सचिव देय कर राशि खर्चों व लागत सहित वसूलने हेतु निर्धारित एवं विहित प्रपत्र पर सम्बन्धित फर्म संस्था अथवा व्यक्ति को वारंट जारी करेगा तथा वारंट जारी करने के बाबजूद भी भुगतान न करने की स्थिति में सम्पूर्ण प्रकरण जिला समाहर्ता को वसूली हेतु प्रेषित करना अपेक्षित है परन्तु नगर पंचायत द्वारा इस संदर्भ में आज तक कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई | उक्त वर्णित अनियमितता अंकेक्षण अधियाचना संख्या 110/2023 दिनांक 27.07.23 के अंतर्गत सचिव के ध्यानार्थ लाई गई जिसके प्रत्युत्तर में सचिव

नगर पंचायत ने अपने पत्र संख्यान.प/द.- 1314 दिनांक 05.08.2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि दुकानों के किराये की वसूली हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे हैं | अत: परामर्श दिया जाता है कि दुकानों के किराये की वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही करनी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

वर्ष	**प्रारम्भिक शेष**	**मांग**	**कुल योग**	**प्राप्ति**	**अंत शेष**
2021-22	616503	1823333	2439836	1736450	703386
2022-23	703386	1827276	2530662	1842982	687680

10.5 दुकानों के किराये का अनुबंध का नवीनीकरण न करना :-

दुकानों से सम्बन्धित प्रस्तुत विभिन्न अभिलेखों का अंकेक्षण में अवलोकन करने पर पाया गया कि **सलंग्न परिशिष्ट "छ" अनुसार** दुकानों के साथ नगर पंचायत द्वारा किये गए किराये से सम्बन्धित अनुबंध समाप्त हो गए थे तथा उक्त समाप्त अवधि के बाद वर्तमान समय तक किराये के अनुबंध का नवीनीकरण नहीं किया गया जबकि नियमानुसार किराये के अनुबंध का नवीनीकरण वार्षिक आधार पर किया जाना अपेक्षित है | अत: वार्षिक आधार पर दुकानों का किराया अनुबंध नवीनीकरण न किये जाने को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा सभी दुकानों का अनुबंध वार्षिक आधार पर किराये वृद्धि एवं दण्ड प्रावधानों सहित नवीनीकरण किया जाना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए | इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 114/23 दिनांक 28.07.2023 के प्रत्युत्तर में सचिव नगर पंचायत ने अपने पत्र संख्या न.प/द.- 1318 दिनांक 05.08.2023द्वारा सूचित किया गया कि दुकानों का अनुबंध नवीनीकरण करवाकर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा | अत: इस सन्दर्भ में नगर पंचायत को सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में तय समय पर ही दुकानों का अनुबंध नवीनीकरण करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए |

Name of Allottee	**Shop No.**	**Date of Allotment**	**Period of renewal**
Sh. Iqbal singh s/o Balwant Singh R/o Chalet Teh.	03	01-11-2014	01-04-2021 to

Ghanari Distt. Una H.P.			28-02-2022
Sh. Rajesh kumar s/o Rattan Chand R/o Joh Teh . Ghanari Distt. Una H.P.	25	01-03-2014	01-07-2021 to 31-05-2022, 01-06-2022 to 30-04-2023
Vinod Kumar S/O Satpal Singh R/O Chalet Teh. Ghanari Distt. Una H.P	55	01-11-2013	01-02-2022 to 31-12-2022, 01-01-2023 to 30-11-2023
Old office Manish sharda s/o sh. Remesh chandar R/O pirthipur Teh . Ghanari Distt. Una H.P.	Old office Nearest chowk talwara in the right side	01-04-2005	01-10-2021 to 31-08-2022, 01-09-2022 to 31-07-2023

10.6 दुकानों को किराये पर आबंटित न करने व खाली रखने के कारण नगर पंचायत को ₹0.74 लाख की वित्तीय हानि :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार दुकाने किराये पर आबंटित न करने व खाली रखने के कारण किराया आय के रूप में **₹73672/-** की वित्तीय हानि हुई है :-

क्रम संख्या	दुकान संख्या	पुराना मासिक किराया	जिस अवधि के लिए दुकानें खाली रही	जितने माह दुकानें खाली रही	किराये के रूप में हुई वित्तीय हानि
1)	5	1890	01.03.2022 से 31.04.2022	2	3780

2)	27	950	01.03.2022 से 31.04.2022	2	1900
3)	66	1020	01.05.2021 से 31.03.2022	11	11220
4)	46	2273	01.04.2022 से 31.03.2023	12	27276
5)	47	2289	01.04.2022 से 31.03.2023	12	27468
6)	खोखा नंबर 2	676	01.01.2023 से 31.03.2023	3	2028
				योग	**73672**

उक्त वर्णित अनियमितता अंकेक्षण अधियाचना संख्या 111/23 दिनांक 27.07.2023 के अंतर्गत सचिव के ध्यानार्थ लाई गई जिसके प्रत्युत्तर में सचिव नगर पंचायत ने अपने पत्र संख्या न.प/द.-1315 दिनांक 05.08.2023 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त खाली दुकानों को किराये पर आबंटित करने हेतु कार्यवाही समय – समय पर अमल में लाई जाएगी | उत्तर संतोषजनक नही था | अत: उपरोक्त उल्लेखित दुकाने मासिक किराये पर आबंटित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त दुकानों को मासिक किराये पर आबंटित न करने के कारण किराये के रूप में हुई वित्तीय हानि **₹73672/- का** उत्तरदायित्व निर्धारण करने के उपरांत उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए व खाली दुकानों को शीघ्र किराये पर देने हेतु प्रभावी कार्यवाही करके अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए |

10.7 दुकानों का किराया अनुबन्ध शर्त अनुसार प्राप्त न करना :-

नगर पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/2021 से 03/2023 के चयनित मासों में दुकानों से प्राप्त किराये का अवलोकन करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा दुकानों से किराया दुकान किराया अनुबंध की धारा 2 अनुसार "The Lessee shall pay 11 (Eleven) months rent in advance" देना वांछित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा

11 महीनों का किराया दुकान को आवंटित करते समय ही प्राप्त किया गया था तथा आगामी वर्षों में जैसा कि नवीनीकरण अनुबंध की धारा 2 अनुसार दुकानदार से किराया प्रत्येक वर्ष 11 महीनो के लिए अग्रिम ही प्राप्त किया जाना था,को नगर पंचायत द्वारा दुकानदारों से किराया मासिक आधार पर प्राप्त / वसूला गया जोकि अनुबंध की शर्त अनुसार नहीं था तथा न ही दुकानदारों से देरी से किराया नगर पंचायत में जमा करने बारे कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई, जिससे नगर पंचायत को आय के रूप में प्राप्त होने वाली राशि विलम्ब से प्राप्त होने के साथ-साथ अनुबंध की शर्त कीअवहेलना भी थी | परिणामस्वरूप नगर पंचायत को देरी से प्राप्त होने वाली आय से अन्य विकास कार्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा आय पर प्राप्त होने वाले ब्याज के रूप में भी आर्थिक हानि उठानी पड रही है | इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 103/2023 दिनांक 27/07/23 के प्रत्युत्तर में सचिव नगर पंचायत ने अपने पत्र संख्यान.प/द.-1307 दिनांक 05.08.2023 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि भविष्य में ध्यान रखा जाएगा । उत्तर संतोषजनक नही है क्योंकि अनुबंध की शर्तों की अवेहलना करना गंभीर अनियमितता है | अतः अनुबंध की शर्त अनुसार वांछित कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए|

10.8 नगर पंचायत की दुकानों की नीलामी करते समय न्यूनतम आरक्षित मूल्य निर्धारित न करना :-

नगर पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/2021 से 03/2023 दौरान नगर पंचायत द्वारा दिनांक 26.04.22 को 6 नंबर (दुकान संख्या 5, 27, 46, 47, 61 व 63) दुकानों की नीलामी की गई थी| नीलामी से सम्बन्धित अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या UD-D(A)(3)-6/88 दिनांक 20.02.2002 द्वारा सचिव शहरी विकास हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या LSG-F(6)-1/85-IV दिनांक 21.12.2001 द्वारा जारी "The leasing out of shops / stalls constructed by the municipalities in HP Rules, 2001" के अंतर्गत जारी नियमों की धारा 4 अनुसार " The minimum lease amount shall be worked out by the municipalities on the market value of the land and cost of construction of stall / shop and other relevant factor such as location of stall / shops etc" की अवेहलना करते हुए नीलामी दौरान दुकानों का कोई भी आरक्षित मूल्य निर्धारित नहीं किया गया था | परिणाम स्वरूप

दुकान संख्या 5 व 27 हेतु लगाई गई अधिकतम बोली को उचित / सही नहीं माना जा सकता जबकि शेष दुकानों की दिनांक 26.04.2 2 को किसी भी बोलीदाता ने बोली नहीं लगाई गई | इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 104/2023 दिनांक 27/07/23 के प्रत्युत्तर में सचिव नगर पंचायत ने अपने पत्र संख्या न.प/द.- 1308 दिनांक 05.08.2023 द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में ध्यान रखा जाएगा । उत्तर संतोषजनक नही है | अतः उपरोक्त पत्रानुसार जारी निर्देशों की अवहेलना के मद्देनजर बिना न्यूनतम आरक्षित मूल्य निर्धारित किए दुकानों के आबंटन को न्यायोचित ठहराया जाए । यदि उक्त आबंटन में कोई वित्तीय अनियमितता अर्थात दुकानों का किराया बोलीदाता द्वारा न्यूनतम आरक्षित मूल्य से कम पाया जाता है तो ऐसी राशि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके नगर पंचायत निधि में जमा करवाया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

10.9 दुकानों के किराये पर ₹6.44 लाख जी.एस.टी. की वसूली न करना :-

नगर पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/2021 से 03/2023 दौरान दुकानों, खोकों व भवनों से प्राप्त किराये का अवलोकन करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 व 2022-23 दौरान ₹1736450/- व ₹ 1842982/- कुल ₹ 3579432/- की वसूली की गई परन्तु उक्त किराये पर केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम-2017 के अंतर्गत लागू जी.एस.टी./वस्तु एवं सेवाकर की वसूली नहीं की गई जोकि गणना अनुसार ₹644298/- (3579432×18/100) थी क्योंकि उक्त अधिनियम की धारा 2(69)के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय भी शामिल है | इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 105/2023 दिनांक 27/07/23 के प्रत्युत्तर में सचिव नगर पंचायत ने अपने पत्र संख्या न.प/द.- 1309 दिनांक 05.08.2023द्वारा सूचित किया गया कि दुकानों के किराये पर नियमानुसार उक्त जी.एस.टी./वस्तु एवं सेवाकर की वसूली नहीं की गई थी जिसे अब वसूल करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि यदि वस्तु एवं सेवाकर न लगाये जाने की स्थिति में यदि सम्बन्धित विभाग कोई दण्ड शुल्क/प्रभार रोपित/लगाता है तो ऐसे में पूर्ण दायित्व (करों से सम्बन्धित) आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा अर्थात आहरण एवं संवितरण अधिकारी निजी तौर पर जिम्मेवार होंगें। अतः उपरोक्त दर्शाए गये वस्तु एवं सेवाकर की वसूली सम्बन्धित उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

10.10 मोबाईल टावरों के स्थापना / नवीनीकरण शुल्क ₹3.66 लाख वसूली हेतु शेष :-

नगर पंचायतद्वारा अंकेक्षण को यथा (**परिशिष्ट ज)** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.23 को निम्न विवरणानुसार मोबाईल टावरों के स्थापना / नवीनीकरण शुल्क ₹**366252/-** वसूली हेतु शेष थी | प्रधान सचिव सूचना प्रोद्योगिकी विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या DIT.Dev-(IT)2005(Misc.)-96 दिनांक 21/06/2017 द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र में यदि मोबाईल कम्पनियां अपने टावर लगाती है, तो उनसे **₹25000/-** टावर स्थापना शुल्क तथा **₹12500/-** प्रति वर्ष नवीनीकरण शुल्क वसूल किया जाना अपेक्षित था | परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त राशि की वसूली हेतु नगर पंचायत द्वारा कोई भी ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी | उक्त वर्णित अनियमितता अंकेक्षण अधियाचना संख्या 112/23 दिनांक 27.07.2023 के अंतर्गत सचिव के ध्यानार्थ लाई गई जिसके प्रत्युत्तर में अपने पत्र संख्या न.प/द.- 1316 दिनांक 05.08.2023 द्वारा स्पष्ट किया कि मोबाईल कम्पनियों से नवीनीकरण शुल्क की वसूली हेतु पत्राचार किया जा रहा है | उत्तर संतोषजनक नहीं है | अत: परामर्श दिया जाता है कि वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु नियमानुसार तुरंत ठोस कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए अथवा यदि मोबाईल कम्पनियों से वसूली न करने वारे कोई निर्देश सबन्धित विभाग द्वारा जारी किए गए हैं तो उसे पुष्टि हेतु आगामीअंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए अन्यथा पूर्ण राशि की वसूली करके नगर पंचायत निधि में जमा करवाई जाए।

क्रम संख्या	**कम्पनी का नाम**	**दिनांक 31.03.23 तक वसूली योग्य राशि (₹)**
1)	रिलायंस	91876
2)	डिशनेट वायरलेस लिमिटेड	114375
3)	भारती इन्फ्राटेल लिमिटेड (एयरटेल)	64063
4)	भारत संचार निगम लिमिटेड	95938
	योग	**366252/-**

10.11 चूल्हा कर की बकाया ₹2.83 लाख वसूली हेतु शेष :-

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को यथा (**परिशिष्ट झ)** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.23 को चुल्हा कर बकाया राशि ₹282520/- वसूली हेतु शेष थी तथा अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त राशि की वसूली हेतु नगर पंचायत द्वारा कोई भी ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी | उक्त वर्णित अनियमितता अंकेक्षण अधियाचना संख्या 113/23 दिनांक 28.07.2023 के अंतर्गत सचिव के ध्यानार्थ लाई गई जिसके प्रत्युत्तर में अपने पत्र संख्यान.प/द.-1317 दिनांक 05.08.2023 द्वारा स्पष्ट किया कि चुल्हा कर की वसूली हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं | उत्तर संतोषजनक नहीं है | अत: चुल्हा कर के किराये की वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही करनी सुनिश्चित की जाये व कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	मांग	कुल योग	प्राप्ति	अंत शेष
2021-22	225220	43600	268820	15100	253720
2022-23	253720	43000	296720	14200	282520

10.12 अंकेक्षण अवधि के दौरान शराब उपकर की राशि ₹0. 87 लाख का विवरण प्राप्त न करना :-

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या यू.एल.बी.-एच(सी)(9)-28/96-1 दिनांक 01.12.99 के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र के अन्दर शराब के ठेकों से विकने वाली शराब की बोतलों पर ₹1 प्रति बोतल की दर से शराब उपकर आवकारी एवं कराधान विभाग द्वारा सम्बन्धित स्थानीय निकायों को शराब उपकर का भुगतान किया जाना अपेक्षित था| अंकेक्षण को प्रस्तुत सूचना अनुसार नगर पंचायत को अवधि 01/04/21 से 31/03/22 के दौरान शराब उपकर की कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई थी जबकि अवधि 01/04/22 से 31/03/23 हेतु ₹87340/- की वसूली की गई थी, परन्तु नगर पंचायत द्वारा उक्त अवधि के दौरान शराब की बोतलों की बिक्री का पूर्ण विवरण आ बकारी एवं कराधान विभाग हिमाचल प्रदेश से प्राप्त नहीं किया गया था, जिसके अभाव में प्राप्त राशि के सही होने की पुष्टि अंकेक्षण में सम्भव न हो सकी| इसके अतिरिक्त प्रस्तुत अभिलेख की पड़ताल करने पर यह भी पाया गया कि उपरोक्त

राशि किस अवधि के शराब बिक्री की एवज में प्राप्त हुई, इसका विवरण भी अभिलेख में सलंग्न नहीं था जिसे आवकारी एवं कराधान विभाग हिमाचल प्रदेश से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए | अत: परामर्श दिया जाता है कि आ बकारी एवं कराधान विभाग हिमाचल प्रदेश से नगर पंचायत क्षेत्र में वर्ष 2022-23 के दौरान शराब की बोतलों की बिक्री का पूर्ण विवरण प्राप्त किया जाए ताकि उक्त अवधि में प्राप्त शुल्क की राशि के सही होने की पुष्टि की जा सके तथा वर्ष 2021-22 हेतु शराब उपकर की वसूली न करना एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जिसकी वसूली हेतुआवकारी एवं कराधान विभाग हिमाचल प्रदेश से शराब उपकर प्राप्त करने हेतु मामला शीघ्र उठाया जाए | इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 119/2023 दिनांक 28.07.23 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या न.प/द.- 1321 दिनांक 05.08.2023 द्वारा सूचित किया गया कि मामला सम्बन्धित विभाग से उठाया जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है | अत: परामर्श दिया जाता है कि उक्त से सम्बन्धित मामला वसूली हेतु शीघ्र उठाया जाए तथा भविष्य में भी समय – समय पर वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

10.13 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.17 लाख को सरकारी कोष में जमा न करना :-

नगर पंचायत द्वारा समाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)1/97 दिनांक 17.12.2004 द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश **विवाह पंजीकरण** नियम 2004 द्वारा जारी नियम 9 व अधिसूचना संख्या SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश **विवाह पंजीकरण (संशोधन)** नियम 2016 द्वारा जारी नियम 3 अनुसार प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को राजकीय कोष में मद 0235-00-800-03 में अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 क्रमशः वर्ष 2021-22 हेतु ₹9200/- व 2022-23 हेतु ₹7800/- कुल ₹17000/- **(परिशिष्ट ट)** अनुसार जमा करवाया जाना वांछित था | उक्त वर्णित अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 115/2023 दिनांक 18.07.23 के अंतर्गत सचिव नगर पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या न.प/द.-1319 दिनांक 05.08.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा करवा दिया जाएगा | अतः प्रस्तुत उत्तर अनुसार कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10.14 घर-घर कूड़ा संग्रहण के रूप में ₹13.00 लाख की कम वसूली करना:-

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को प्रदान की गई सूचना के अनुसार अंकेक्षण अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक के दौरान नगर पंचायत के क्षेत्र में स्थापित घर, दुकानें, सरकारी कार्यालय, विद्यालय, महाविद्यालय, बैंक, होटल व ढाबे कूड़ा संग्रहण के रूप में निम्न विवरणानुसार तथा सलंग्न **परिशिष्ट "ठ"** अनुसार वसूली योग्य राशि ₹1722480/-बनती थी, जिन में से नगर पंचायत द्वारा केवल घरों से ही ₹ 422210/- वसूली की गई जबकि वसूली हेतु ₹1300270/- राशि शेष थी, जिसकी वसूली बारे नगर पंचायत द्वारा कोई भी पग नहीं उठाये गए थे, परिणाम स्वरूप नगर पंचायत को एक बड़ी राशि के रूप में प्राप्त होने वाली आय से वंचित होना पडा, जिसका औचित्य स्पष्ट करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 116/23 दिनांक 28.07.2023 द्वारा सचिव नगर पंचायत से आग्रह किया गया , जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या न.प/द.- 1324 दिनांक 05.08.2023 द्वारा अंकेक्षण को स्पष्ट किया गयाकि कूड़ा संग्रहण की राशि की वसूली करने के लिए नगर पंचायत क्षेत्र में स्थापित घर, दुकान, सरकारी कार्यालय, विद्यालय, महाविद्यालय, बैंकव ढा बे इत्यादि को पत्र भेजे जा रहे हैं जिससे कि उक्त संस्थाओं से घर-द्वार कूड़ा संग्रहण फीस की वसूली की जा सके |

विवरण	**संख्या**	**अधिसूचना अनुसार निर्धारित दरें (मासिक)**	**मासों की संख्या 01-04-21 से 31-03-2023**	**वसूली योग्य राशि (01-04-2021 से (31-03-2023)**	**वसूली की गई राशि**	**कम वसूली राशि**
घर	1014	30	24	730080	422210	307870
दुकान	556	50	24	667200	0	667200
सरकारी कार्यालय	3	100	24	7200	0	7200
प्राथमिक विद्यालय	2	100	24	4800	0	4800
महाविद्यालय	1	1000	24	24000	0	24000
वरिष्ठ माध्यमिक	3	100	24	7200	0	7200

पाठशाला						
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	1	1500	24	36000	0	36000
सरकारी अस्पताल	1	1500	24	36000	0	36000
रेस्टोरेंट	2	1000	24	48000	0	48000
ढाबा	4	250	24	24000	0	24000
होटल	1	2000	24	48000	0	48000
बैंक	5	750	24	90000	0	90000
			कुल योग	**1722480**	**422210**	**1300270**

अतः उपरोक्त प्राप्त योग्य राशि ₹1300270/- की वसूली उचित स्त्रोत से करके तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10.15 बिजली बोर्ड से देय बिजली उपकर की वसूली न करना :-

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एल.एस.जी.-(डी)(1)-9/94 दिनांक 01.12.99 एवं हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल अधिनियम की धारा 69 के अनुसार नगर पंचायत द्वारा अपने परिक्षेत्र में खर्च होने वाली बिजली पर प्रति यूनिट 1 पैसा की दर से बिजली उपकर हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड से वसूल किया जाना अपेक्षित है | अंकेक्षण को प्रस्तुत सूचना अनुसार नगर पंचायत को अवधि 01/04/21 से 1/03/23 के दौरान बिजली शुल्क की कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई थी,जोकि एक गम्भीर अनियमितता है तथा यह प्रकरण तुरंत बिजली बोर्ड से उठाया जाए तथा उक्त अवधि के दौरान देय बिजली शुल्क की राशि को बिजली खपत के पूर्ण विवरण सहित प्राप्त करने के अतिरिक्त अपेक्षित मांग व प्राप्ति रजिस्टर का उचित संधारण किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए | इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या118/2023दिनांक 28.07.23 द्वारा वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने का आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव नगर पंचायत ने अपने पत्र संख्या न.प/द.-1320 दिनांक 05.08.2023 द्वारा सूचित किया गया कि वर्ष 2021-22 हेतु बिजली उपकर की वसूली हेतु मामला सम्बन्धित विभाग से शीघ्र उठाया जाएगा उत्तर संतोषजनक नहीं है | अत: परामर्श दिया जाता है कि वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु

नियमानुसार तुरंत ठोस कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए व कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

10.16 वर्ष 2021-22 की बस अड्डा फीस की नीलामी हेतु प्राप्त आय पर जी.एस.टी.₹0.96 लाख की वसूली न करना :-

नगर पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/21 से03/23 दौरान वर्ष 2021-22 की बस अड्डा फीस की नीलामी जो दिनांक 22.03.21 को हुई तथा जिसमे 3 नंबर बोलीदाताओं ने भाग लिया और जिसमें अधिकतम वोली श्री सुरिंदर सिंह गांव भवनौर जिला होशियारपुर ने ₹ 531000/- में लगाई | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार उक्त राशि पर जी.एस.टी. की वसूली व तदोपरान्त उक्त राशि को सम्बन्धित विभाग में जमा नहीं करवाया गया जोकि गणना अनुसार ₹95580/-(531000×18%) ब नती थी | अत: जी.एस.टी. की वसूली न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 131/2023 दिनांक 07.08.23 द्वारा वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने का आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव नगर पंचायत ने अपने पत्र संख्या न.प/द.-1360 दिनांक 10.08.2023 द्वारा सूचित किया गया कि वर्ष 2021-22 हेतु श्री सुरिंदर सिंह गांव भवनौर जिला होशियारपुर से बस अड्डा फीस की नीलामी से प्राप्त आय पर जी.एस.टी.की वसूली नही की गई है जिसे अब वसूल करके नगर पंचयात के लेखे में जमा करवा दिया जाएगा |

क्रम संख्या	रसीद संख्या	दिनांक	प्राप्त राशि	वसूली योग्य जी.एस.टी. @18%
1.	10/229	30.03.2021	132750	23895
2.	33/299	23.02.2022	132750	23895
3.	41/299	24.02.2022	132750	23895
4.	21/300	05.03.2022	132750	23895
		योग	**531000**	**95580/-**

वस्तु एवं सेवाकर की वसूली न करना जी०एस०टी० अधिनियम 2017 में दिए गये प्रावधानों की अवहेलना है तथा यदि वस्तु एवं सेवा कर विभाग उक्त चूक के लिए निकट भविष्य में कोई दण्ड प्रभार रोपित करता है तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार पूर्ण दायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि उपरोक्त गणना की गई राशि

`₹95580/- की वसूली सुनिश्चित करते हुए भविष्य में सभी आवश्यक शुल्क व करों की वसूली सुनिश्चित की जाए व की गई अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10.17 तहबजारी के रूप में राशि ₹3.23 लाख वसूली हेतु शेष :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 75/23 दिनांक 17.08.2023 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रत्युत्तर में उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार दिनांक 31.03.23 को निम्न विवरणानुसार तथा **सलंग्न परिशिष्ट "ण" अनुसार** तह बजारी के रूप में वसूली हेतु शेष राशि ₹323150/- थी | अत: इतनी अधिक राशि की वसूली न करना एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है | इस सन्दर्भ में सचिव नगर पंचायत को परामर्श दिया जाता है कि तह बजारी की वसूली हेतु ठोस कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए |

Year	**Opening Balance**	**Demand during the year**	**Total**	**Receipts during the year**	**Closing Balance**
2021-22	209430	71130	280560	3000	277560
2022-23	277560	65700	343260	20110	323150

11 स्थापना

11.1 श्री रमेश कुमार सचिव के अनियमित वेतन निर्धारण के कारण ₹ 0.75 लाख का अधिक भुगतान करना:-

श्री रमेश कुमार लिपिक अब सचिव की सेवा पंजिका के अवलोकन दौरान पाया गया कि दिनांक 01.01.2016 से उन्हें वेतन संशोधन नियम 2022 का लाभ जारी करते समय अनियमित रूप से अधिक वेतन निर्धारित किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

1) श्री रमेश कुमार द्वारा 2.59 के फैक्टर के साथ वेतन संशोधन का विकल्प चुना था |
2) चूँकि उन्हें दिनांक 01.10.2012 से हुए वेतन पुनःसंशोधन के आधार पर ₹ 2400 के स्थान पर उच्च ग्रेड पे ₹ 3200 का लाभ दिया गया है जिस कारण चुने गए विकल्प के आधार पर दिनांक 01.10.12 से उनका वेतन काल्पनिक रूप से निम्न प्रकार से निर्धारित किया जाना था परन्तु यह गणना गलत की गई थी।

क्रम संख्या	दिनांक	काल्पनिक रूप से गलत निर्धारित वेतन (₹)	काल्पनिक रूप से अपेक्षित वेतन निर्धारण (₹)
1	01.04.2012	10750+2400 = 13150	10750+2400 = 13150
2	01.10.2012	10750+3200 = 13950	10750+2400 = 13150
3	01.04.2013	11170+3200 = 14370	11150+2400 = 13550
4	01.04.2014	11610+3200 = 14810	11560+2400 = 13960
5	01.04.2015	12060+3200 = 15260	11980+2400 = 14380
6	2.59 फैक्टर के आधार पर वेतन निर्धारण	15260×2.59 = 39523 Level 9 cell 5 = 40100	14380×2.59 = 37244 Level 6 cell 14 = 37600

उपरोक्त के अतिरिक्त कर्मचारी की पदोन्नति बतौर लिपिक से सचिव, प्रधान सचिव शहरी विकास हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या UD-B(6)-1/2018-L दिनांक 13.10.2022 द्वारा दी गई तथा कर्मचारी को पदोन्नति उपरांत दिनांक 14.10.2022 से बतौर सचिव वेतन का निर्धारण निम्न प्रकार से किया गया तथा उपरोक्त गलत काल्पनिक वेतन गणना के कारण दिनांक 01.01.16 से श्री रमेश कुमार के वेतन निर्धारण में निम्न अंतर पाया गया :-

क्रम संख्या	विवरण	दिनांक	निर्धारित किया गया वेतन	अपेक्षित वेतन निर्धारण
1	वेतन संशोधन	01.01.2016	Level 9 cell 5 = 40100	Level 6 cell 14 = 37600
2	वार्षिक वेतन वृद्धि	01.04.2016	Level 9 cell 6 = 41300	Level 6 cell 15 = 38700
3	वार्षिक	01.04.2017	Level 9 cell 7 = 42500	Level 6 cell 16 =

	वेतन वृद्धि			39900
4	वार्षिक वेतन वृद्धि	01.04.2018	Level 9 cell 8 = 43800	Level 6 cell 17 = 41100
5	वार्षिक वेतन वृद्धि	01.04.2019	Level 9 cell 9 = 45100	Level 6 cell 18 = 42300
6	वार्षिक वेतन वृद्धि	01.04.2020	Level 9 cell 10 = 46500	Level 6 cell 19 = 43600
7	वार्षिक वेतन वृद्धि	01.04.2021	Level 9 cell 11 = 47900	Level 6 cell 20 = 44900
8	वार्षिक वेतन वृद्धि	01.04.2022	Level 9 cell 12 = 49300	Level 6 cell 21 = 46200
9	पदोन्नति पर	14.10.2022	Level 14 cell 3 = 50500	Level 14 cell1 = 47600

इस अनियमित वेतन निर्धारण के कारण दिनांक 01.01.2022 से 31.07.2023 तक श्री रमेश कुमार को **सलंग्न परिशिष्ट"ड"** अनुसार **₹74604/-** का अनियमित व अधिक भुगतान किया गया जबकि महंगाई भत्ता की Due व Drwan विवरणी में 31 प्रतिशत की दर से गणना की गई है क्योंकि नगर पंचयात द्वारा वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या Fin(C)-B(7)-1/202 दिनांक 27.04.23 की अनुपालना में 3 4 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया गया था | इस संदर्भ में, जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 127/23 दिनांक 07.08.2023

के प्रत्युत्तर में सचिव नगर पंचायत द्वारा अपने पत्र संख्या न.प./द.प.- 1364 दिनांक 14.08.23 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अवधि 01.01.22 से 31.07.23 तक गलत वेतन निर्धारण के कारण ₹74604/- की वसूली जी-8 संख्या 17/340 दिनांक 14.08.23 द्वारा कर ली गई|

11.2 ₹1.23 लाख की N.P.S की गलत कटौती करना:-

नगर पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/21 से 03/23 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त (पेंशन) विभाग के पत्र संख्या Fin(Pen) A(3)-1/96-Loose दिनांक 22.04.2019 द्वारा जारी दिशा - निर्देशों अनुसार N.P.S की कटौती कर्मचारी हिस्सा मूल वेतन व मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत तथा विभाग / संस्था का 14 प्रतिशत करना वांछित थी, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा कर्मचारी व नियोक्ता का हिस्सा 14-14 प्रतिशत की दर से **निम्न विवरणानुसार** कर्मचारियों के वेतन से काटा गया जोकि कर्मचारी के वेतन से कर्मचारी के हिस्से का 10 प्रतिशत बनता था | अत: 4 प्रतिशत मासिक दर से कर्मचारियों के वेतन से **₹**123507/-की अधिक कटौती की गई | इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 129/23 दिनांक 07.08.2023 के प्रत्युत्तर में सचिव नगर पंचायत द्वारा अपने पत्र संख्या न.प./ द. प.-1363 दिनांक 14.08.23 द्वारा स्पष्ट किया गया कि नगर पंचायत द्वारा गलती से 3 नंबर कर्मचारियों का हिस्सा 10% से 14% काटा गया है | अत: अधिक काटे गए 4% हिस्से की राशि को कर्मचारियों को वापिस कर दिया जाएगा |

Summary of Excess Deduction of NPS			
Sr. No	**Name of Employees**	**period**	**Excess Deduction of NPS @ 4%**
1	Sh. Parmod Singh	01-04-2021 to 31-03-2023	63571
2	Sh. Naresh Kumar	01-04-2021 to 31-03-2023	29804
3	Sh. Shamsher Singh	01-04-2021 to 31-03-2023	30132
		Total	**123507**

अतः वेतन से अधिक काटी गई राशि के संदर्भ में उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11.3 कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं का रख-रखाव नियमानुसार न करना:-

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 1971 के नियम 7.14 एवं 7.15 के प्रावधानों के अनुसार सेवा पंजिकाओं में कर्मचारियों से सम्बन्धित विवरण जैसे कि अर्जित अवकाश, स्वीकृति आदेश, वार्षिक वेतन वृद्धि आदेश, तबादला आदेश, पदोन्नति आदेश, सेवाकाल सत्यापन की प्रविष्टि दर्ज की जानी अपेक्षित है किन्तु अंकेक्षण के दौरान कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्न वर्णित प्रकरणों में सेवा पंजिकाओं का रख-रखाव नियमानुसार न करने को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा निम्न वर्णित प्रकरणों सहित अन्य इसी प्रकार के सभी प्रकरणों में कार्यवाही करके अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम	पद	टिप्पणी
1.	श्रीमती अनीता कुमारी	Community Organizer	Annual Increment order not mentioned in Service book for the period 2021-22 & 2022-23
2.	श्री नरेश कुमार	Work Supervisor	Annual Increment order not mentioned in Service book for the period 2021-22 & 2022-23
3.	श्री शमशेर सिंह	Driver	Annual Increment order not mentioned in Service book for the period 2021-22 & 2022-23
4.	श्री प्रमोद सिंह	Junior Engineer	Annual Increment order not mentioned in Service book for the period 2021-22 & 2022-23

11.4 कर्मचारियों के अवकाश खातों को पूर्ण न करना :-

केन्द्रीय सेवा नियम (अवकाश) 1972 के नियम26(1)(a)(i) के प्रावधान के अनुसार, कर्मचारियों के अवकाश खातों को प्रत्येक वर्ष की प्रथम जनवरी एवं प्रथम जुलाई को दो किश्तों में एडवांस क्रेडिट देते हुए पूर्ण किया जाना अपेक्षित था | अंकेक्षण के दौरान नगर पंचायत के कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न कर्मचारियों के सन्दर्भ में अवकाश खातों को पूर्ण नहीं किया गया था जोकि अनियमित है | अत: कर्मचारी के अवकाश खाते को पूर्ण करने हेतु नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

Sr. No	Name of employee	Designation	Period for which earned leave account not completed	Period for which H.P.L. leave account not completed
1	Smt. Anita Devi	Community Organizer	01.01.2023 to 31.03.2023	01.01.2023 to 31.03.2023
2	Sh. Naresh kumar	Work Supervisor	---	01.01.2023 to 31.03.2023
3	Sh. Shamsher Singh	Driver	---	01.10.2022 to 31.03.2023
4	Sh. Parmod Singh	Junior Engineer	01.01.2023 to 31.03.2023	01.01.2023 to 31.03.2023

12 श्री शमशेर सिंह चालक को जारी अग्रिम ₹8000/-की वसूली न करने बारे :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 75/23 दिनांक 17.08.2023 द्वारा नगर पंचयात के अधिकारियों/कर्मचारियों को जारी अग्रिम के सन्दर्भ में मांगी गई सूचना के प्रत्युत्तर में सचिव,

नगर पंचायत दौलतपुर चौंक के पत्र संख्या न.प. / द. प- 1387 दिनांक 17.08.23 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि श्री शमशेर सिंह चालक को वाउचर संख्या 41 दिनांक 16.04.2021 द्वारा ₹8000/-का अग्रिम जारी किया गया था परन्तु उक्त चालक द्वारा अभी तक नतो जारी अग्रिम के समायोजन के समर्थन में बिल/वाउचर जमा करवाए गये थे तथा न ही अग्रिम राशि को अंकेक्षण समाप्ति तक नगर पंचायत के लेखे में जमा करवाया गया | अतः कर्मचारी को अग्रिम जारी हुए लगभग दो वर्ष से ज्यादा समय व्यतीत होने के बावजूद अग्रिम की वसूली न करना एक गम्भीर अनियमितता है जिसका औचित्य तथ्यों सहित स्पष्ट करते हुए राशि की वसूली कर्मचारी से ब्याज सहित शीघ्र करके पंचायत लेखे में जमा की जानी सुनिश्चित की जाए |

13.1 कार्य स्थल पर लाये गये एवं उपयोग किये गये निर्माण सामग्री की प्रमात्रा पर नियमानुसार ₹1.92 लाख रॉयल्टी को जमा न करना:-

प्रधान सचिव (उद्योग) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या खण्ड –II(एफ) 6-5/2006 दिनांक 16.01.2012 तथा हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग (भूगर्भीय शाखा) {Himachal Pradesh of Industries – Geoligical Wing} द्वारा जारी Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) and Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and storage) Rules,2015 की दूसरी अनुसूची में निर्माण कार्यों में उपयोग किये जाने वाले क्षुद्र खनिज जैसे पत्थर, रेत, बजरी, चूना पत्थर तथा संगमरमर आदि पर समय –समय पर निर्धारित दरों के अनुसार रॉयल्टी देय है| अंकेक्षण के दौरान निर्माण कार्य बिलों की जाँच दौरान पाया गया कि विभिन्न कार्य स्थलों पर **सलंग्न परिशिष्ट"ढ" अनुसार** पत्थर, रेत, बजरी का उपयोग किया गया जिसके सन्दर्भ में रॉयल्टी के रूप में ₹ 191612/- की राशि की कटौती तो संविदाकारों से की गई थी, परन्तु उक्त राशि को सम्बन्धित विभाग में जमा नहीं करवाया गया था | इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 130/23 दिनांक 07.08.2023 के प्रत्युत्तर में सचिव नगर पंचायत द्वारा अपने पत्र संख्या न.प. / द. प.- 1362 दिनांक 14.08.23 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त रॉयल्टी ₹191612/- को सम्बन्धित विभाग में जमा नहीं करवाया गया है जिसे शीघ्र ही सम्बन्धित विभाग में जमा करवा दिया जाएगा | इसके अतिरिक्त यदि सरकारी प्राप्तियों को समय पर जमा न करने के कारण यदि खनन विभाग द्वारा कोई दण्ड (Penality) प्रभार लगाया जाता है तो उसके लिए सम्बन्धित आहरण एवं संवितरण

अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा | अतः काटी गई रॉयल्टी को अतिशीघ्र सम्बंधित सरकारी आय शीर्ष में जमा करवाई जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13.2 निर्माण कार्य बिल में संविदाकार को ₹4179/- का अधिक भुगतान करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माण कार्य बिलों में **निम्न विवरणानुसार** संविदाकार को ₹4179/-का अधिक भुगतान गलत गणना के कारण किया गया | इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 121/23 , 122/23 व 123/23 दिनांक 31.07.2023 के प्रत्युत्तर में सचिव नगर पंचायत द्वारा अपने पत्र संख्या न.प. / द. प.- 1332, 1331 व 1333 दिनांक 05.08.23 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त ₹4179/-की वसूली सम्बन्धित ठेकेदार से वाउचर संख्या 9 दिनांक 07.08.23 द्वारा उनको देय प्रतिभूति में से कर ली गई थी, जिसकी सत्यापना अंकेक्षण दौरान कर ली गई |

क) गणना में चूक के कारण ₹657/-का अधिक भुगतान

कार्य का नाम	**Improvement of path Ranjit Singh House to Tirth Ram House.**
ठेकेदार	Sh.Rajiv Sharma Govt.Cont.
ठेका आबंटन पत्र संख्या	NP/NPDR/2019-259-261 Dated 08.03.2019.
माप पुस्तिका संख्या	53 पृष्ठ संख्या 49 से 51
वाउचर संख्या व दिनांक	29 दिनांक 16.04.2021
रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	74

क्रम संख्या	**मद संख्या**	**मद का नाम**	**दर ₹**	**भुगतान की गई मात्रा**	**वास्तविक निष्पादित कार्य प्रमात्रा**	**अधिक भुगतान मात्रा**	**कुल अधिक भुगतान ₹**
1	1	P/L C:C 1:1.5:3	5050/-	44.80	44.67	0.13	657

		(1cement:1.5sand:3graded stone) agg.40mm etc.	घ.मी.	घ.मी.	घ.मी.	घ.मी.	
						कुल योग	**657/-**

ख) गणना में चूक के कारण ₹980/-का अधिक भुगतान

कार्य का नाम	**Improvement of path mohalla Tarkhana from Reeta House to Kanpurian House.**
ठेकेदार	Sh.Rajiv Sharma Govt.Cont.
ठेका आवंटन पत्र संख्या	349-351NP/NPDR/2019-259-261 Dated 23.03.2022.
माप पुस्तिका संख्या	53 पृष्ठ संख्या 92 से 93
वाउचर संख्या व दिनांक	205 दिनांक 16.04.2022
रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	163

क्रम संख्या	**मद संख्या**	**मद का नाम**	**दर ₹**	**भुगतान की गई मात्रा**	**वास्तविक निष्पादित कार्य प्रमात्रा**	**अधिक भुगतान मात्रा**	**कुल अधिक भुगतान ₹**
1	2	P/L in position Cement concrete of specified graded etc.	5500/-घ.मी.	10.75 घ.मी.	10.66 घ.मी.	0.09	495
2	3	P/L 60mm thick factory made cement	735/ व.मी.	144.66 व.मी.	144 व.मी.	0.66	485

		conc.interlocking etc.					
						कुल योग	**980/-**

ग)गणना में चूक के कारण ₹2542/-/-का अधिक भुगतान

कार्य का नाम	**C/O cross drain and const.of path in ward no. 4**
ठेकेदार	Sh.Rajiv Sharma Govt.Cont.
ठेका आवंटन पत्र संख्या	NP/NPDR/346-348Dated 23.03.2022.
माप पुस्तिका संख्या	53 पृष्ठ संख्या 89 से 91
वाउचर संख्या व दिनांक	205 दिनांक 16.04.2022
रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	163

क्रम संख्या	**मद संख्या**	**मद का नाम**	**दर ₹**	**भुगतान की गई मात्रा**	**वास्तविक निष्पादित कार्य प्रमात्रा**	**अधिक भुगतान मात्रा**	**कुल अधिक भुगतान ₹**
1	5	Steel reinforcement for RCC work etc.	91/- किलोग्राम	123.62 किलोग्राम	114.49 किलोग्राम	9.13 किलोग्राम	831
2	6	P/L in position cement concrete of specified grade etc.	2950/ घ.मी.	13.20/ घ.मी.	12.62 घ.मी.	0.58 घ.मी.	1711
						कुल योग	**2542**

14 अन्य:-

(i) कर्मचारी अंशदान व नियोक्ता अंशदान का रजिस्टर तैयार न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 का कर्मचारी अंशदान व नियोक्ता अंशदान का रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था | जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 हेतु कर्मचारी अंशदान व नियोक्ता अंशदान रजिस्टर को तैयार एवं अध्यतन (Update) करने के उपरांत सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

(ii) शीर्षवार वर्गीकृत खाता बहियाँ तैयार न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत प्राप्ति क्रमश: ₹28252493, ₹ 32348126 व व्यय ₹21932074, ₹26606045 दर्शाया गया है, परन्तु वर्णित आय व व्यय की मदवार खाता बहियों को तैयार नहीं किया गया था जिसके कारण अंकेक्षण में यह पुष्टि सम्भव न हो सकी कि वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान जिस शीर्ष के अंतर्गत जितनी आय प्राप्त की गई थी क्या वास्तव में उस शीर्ष के अंतर्गत उतनी ही आय प्राप्त की गई है व जिस शीर्ष के अंतर्गत जितना व्यय दर्शाया गया था, वास्तव में उस शीर्ष के अंतर्गत उतना ही व्यय किया गया है | अत: शीर्षवार वर्गीकृत खाता बहियाँ तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए अब शीर्षवार वर्गीकृत खाता बहियाँ तैयार न करने के उपरांत सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाएँ |

(iii) बजट रजिस्टर का अनुरक्षण न करना :-

नगर पंचायत द्वारा व्यय से सम्बन्धित बजट रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था | जबकि नियमानुसार बजट रजिस्टर का अनुरक्षण करना अनिवार्य है, ताकि स्वीकृत बजट के अनुसार ही व्यय पर नियन्त्रण रखा जा सके | वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 का बजट रजिस्टर तैयार किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत किए गए व्ययों को स्वीकृत बजट अनुसार ही व्यय किया गया है अथवा नहीं एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

15 लघु आपत्ति विवरणिका :- यह अलग से जारी नहीं की गई है |

16 निष्कर्ष:- लेखों के रख-रखाव में सुधार की आवश्यकता है |

हस्ता/–
(अनिल कुमार मेहरा)
उप निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009.
दूरभाष –0177–2626670

पृष्ठांकन संख्या :–फिन (एल0ए0)एच(2)सी(5)79/85 खण्ड–3–8510–8511 दिनांक 03.11.23
शिमला–09.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :–

1 निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला–2. को पैरा 1(ख) द्वारा वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

पंजीकृत :– 2 सचिव, नगर पंचायत दौलतपुर, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–

(अनिल कुमार मेहरा)
उप निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009.
दूरभाष –0177–2626670

पैरा संख्या -1(घ) से संदर्भित परिशिष्ट "क"

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों की सूची :-

1) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/1982 से 03/1984

1.	पैरा-2	अनिर्णीत।	

2) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनअवधि 04/1987 से 03/1988

1.	पैरा-10 (बी)	अनिर्णीत।	
2.	पैरा-10 (सी)	अनिर्णीत।	

3) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनअवधि 04/1988 से 03/1995

1	पैरा- 8(त)	अनिर्णीत।	
2	पैरा- 8 (ध)	अनिर्णीत।	

4) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनअवधि 04/1995 से 03/2004

1	पैरा- 6	अनिर्णीत।	
2	पैरा- 8	अनिर्णीत।	
3	पैरा- 11	अंशत:निर्णीत।	
4	पैरा- 14	अनिर्णीत।	
5	पैरा- 15	अनिर्णीत।	
6	पैरा- 16	अनिर्णीत।	
7	पैरा- 18	अनिर्णीत।	
8	पैरा- 20	अनिर्णीत।	

9	पैरा- 22	अनिर्णीत।	
10	पैरा- 25	अनिर्णीत।	
11	पैरा- 26	अनिर्णीत।	
12	पैरा- 29	अनिर्णीत।	
13	पैरा- 33	अनिर्णीत।	
14	पैरा- 34	अनिर्णीत।	
15	पैरा- 35	अनिर्णीत।	
16	पैरा- 36	अनिर्णीत।	
17	पैरा- 37	अनिर्णीत।	
18	पैरा- 42	अनिर्णीत।	
19	पैरा- 43	अनिर्णीत।	
20	पैरा- 44	अनिर्णीत।	
21	पैरा- 45	अनिर्णीत।	

5) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनअवधि 04/2004 से 03/2007

1	पैरा- 4 (ए)	अनिर्णीत।	
2	पैरा- 4 (बी)(1)	अनिर्णीत।	
3	पैरा- 4 (बी)(4)	अंशत:निर्णीत।	
4	पैरा- 6 (ए)	अनिर्णीत।	
5	पैरा- 6 (बी)	अनिर्णीत।	
6	पैरा- 6 (सी)	अनिर्णीत।	
7	पैरा- 6 (डी)	अनिर्णीत।	
8	पैरा- 7 (ए)	अनिर्णीत।	
9	पैरा- 7 (बी)	अनिर्णीत।	
10	पैरा- 7 (डी)(ii)	अनिर्णीत।	

6) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनअवधि 04/2007 से 03/2011

1	पैरा- 5.3	अनिर्णीत।	
2	पैरा- 6 (3)(v)	अनिर्णीत।	
3	पैरा- 6.4 (i)	अनिर्णीत।	
4	पैरा- 6.4 (ii)	अनिर्णीत।	
5	पैरा- 6.4 (iii)	अनिर्णीत।	
6	पैरा- 6.5 (i)(क,ख,ग,घ,ङ)	अनिर्णीत।	
7	पैरा- 6.5 (ii)	अनिर्णीत।	
8	पैरा- 7.2.1	अनिर्णीत।	
9	पैरा- 7.2.2	अनिर्णीत।	
10	पैरा- 7.2.3	अनिर्णीत।	
11	पैरा- 7.2.4 (i)(ii)	अनिर्णीत।	
12	पैरा- 8	अनिर्णीत।	
13	पैरा- 9.1 (ii)	अनिर्णीत।	
14	पैरा- 9.4 (ii)	अनिर्णीत।	
15	पैरा- 9.7	अनिर्णीत।	
16	पैरा- 9.8	अनिर्णीत।	
17	पैरा- 9.10	अनिर्णीत।	
18	पैरा- 10	अनिर्णीत।	

7) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनअवधि 04/2011 से 03/2013

1	पैरा- 5.1	अनिर्णीत।	
2	पैरा- 5.3	अनिर्णीत।	

3	पैरा- 7.7 (i)	अनिर्णीत।	
4	पैरा- 7.7 (ii)	अनिर्णीत।	
5	पैरा- 7.7 (iii)	अनिर्णीत।	
6	पैरा- 8.3	अनिर्णीत।	
7	पैरा- 8.6	अनिर्णीत।	
8	पैरा- 9.1	अनिर्णीत।	
9	पैरा- 9.2	अनिर्णीत।	
10	पैरा- 9.3	अनिर्णीत।	
11	पैरा- 11	अनिर्णीत।	
12	पैरा- 12	अनिर्णीत।	
13	पैरा- 13	अनिर्णीत।	
14	पैरा- 14	अनिर्णीत।	

8) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनअवधि 04/2013 से 03/2015

1	पैरा- 7	अनिर्णीत।	
2	पैरा- 11	अनिर्णीत।	
3	पैरा- 13	अनिर्णीत।	
4	पैरा- 14	अनिर्णीत।	
5	पैरा- 15	अनिर्णीत।	
6	पैरा- 16	अनिर्णीत।	
7	पैरा- 17	अनिर्णीत।	
8	पैरा- 18	अनिर्णीत।	
9	पैरा- 19	अनिर्णीत।	
10	पैरा- 20	अंशत: निर्णीत।	₹**49613** की वसूली की पुष्टि उपरांत
11	पैरा- 21	अनिर्णीत।	
12	पैरा- 22 (i)	अनिर्णीत।	

13	पैरा- 22(ii)	अनिर्णीत।	
14	पैरा- 22 (iii)	अनिर्णीत।	
15	पैरा- 23	अनिर्णीत।	
16	पैरा- 24	निर्णीत।	मूल अभिलेख की सत्यापना एवं सटिप्पण उत्तरानुसार
17	पैरा- 32	अनिर्णीत।	
18	पैरा- 33	अनिर्णीत।	

9) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनअवधि 04/2015 से 03/2017

1	पैरा- 7.2	अनिर्णीत।	
2	पैरा- 12	अनिर्णीत।	
3	पैरा- 13	अनिर्णीत।	
4	पैरा- 14	अनिर्णीत।	
5	पैरा- 15	अनिर्णीत।	
6	पैरा- 16	अनिर्णीत।	
7	पैरा- 17	अनिर्णीत।	
8	पैरा- 23	अनिर्णीत।	
9	पैरा- 24	अनिर्णीत।	
10	पैरा- 25	अनिर्णीत।	
11	पैरा- 26	अनिर्णीत।	
12	पैरा- 27	अनिर्णीत।	
13	पैरा- 28	अनिर्णीत।	
14	पैरा- 29	अनिर्णीत।	
15	पैरा- 30	अनिर्णीत।	
16	पैरा- 31	अनिर्णीत।	

17	पैरा- 32	अनिर्णीत।	
18	पैरा- 34	अनिर्णीत।	
19	पैरा- 36	अनिर्णीत।	

10) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2017 से 03/2019

1	पैरा- 8 (ख)	अनिर्णीत।	
2	पैरा- 9	अनिर्णीत।	
3	पैरा- 10	अनिर्णीत।	
4	पैरा- 11	अनिर्णीत।	
5	पैरा- 12	अनिर्णीत।	
6	पैरा- 13	अनिर्णीत।	
7	पैरा- 14	निर्णीत।	मूल अभिलेख की सत्यापना एवं सटिप्पण उत्तरानुसार
8	पैरा- 15	अनिर्णीत।	
9	पैरा- 16	अनिर्णीत।	
10	पैरा- 17	अनिर्णीत।	
11	पैरा- 18	अनिर्णीत।	
12	पैरा- 19	अनिर्णीत।	
13	पैरा- 20	अनिर्णीत।	
14	पैरा- 21	निर्णीत।	मूल अभिलेख की सत्यापना एवं सटिप्पण उत्तरानुसार

11) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2019से 03/2021

1	पैरा- 3	निर्णीत।	अंकेक्षण शुल्क **₹45000/-** को बैंक ड्राफ्ट संख्या **447404** दिनांक 27.09.21 द्वारा भेज दिया गया है।

2	पैरा- 7 (ख)	निर्णीत।	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन केपैरा संख्या 6 **(**ख) पर प्रारूपित
3	पैरा- 7 (ग)	अनिर्णीत।	
4	पैरा- 8(क)(i)	निर्णीत।	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन केपैरा संख्या 10.1 पर प्रारूपित
5	पैरा- 8(क)(ii),(iii),(iv)	अनिर्णीत।	
6	पैरा- 8(ख) (i)	निर्णीत।	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 10.4 पर प्रारूपित
7	पैरा- 8(ख)(ii)	अनिर्णीत।	
8	पैरा- 8(ग)	निर्णीत।	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 10.10 पर प्रारूपित
9	पैरा- 8(घ)	निर्णीत।	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 10.11 पर प्रारूपित
10	पैरा- 8(ङ)	अनिर्णीत।	
11	पैरा- 9	अनिर्णीत।	
12	पैरा- 10	अनिर्णीत।	
13	पैरा- 11	अनिर्णीत।	
14	पैरा- 12	अनिर्णीत।	
15	पैरा- 13	निर्णीत।	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 10.18 पर प्रारूपित
16	पैरा- 14	अनिर्णीत।	
17	पैरा- 15	अनिर्णीत।	
18	पैरा- 16	अनिर्णीत।	
19	पैरा- 17	अनिर्णीत।	
20	पैरा- 18	अनिर्णीत।	

21	पैरा- 19	निर्णीत।	मूल अभिलेख की सत्यापना एवं सटिप्पण उत्तरानुसार
22	पैरा- 20	अनिर्णीत।	
23	पैरा- 21	अनिर्णीत।	
24	पैरा- 22	अनिर्णीत।	
25	पैरा- 23(i)क,(ख),(ii),(iii),(iv),(v),(vi)	अनिर्णीत।	

पैरों का सार

अनिर्णीत पैरे	144
वर्तमान में लगाए गए पैरे	12
कुल	156
वर्तमान में निर्णित पैरे	11
शेष अनिर्णीत पैरे	145